लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछ गए—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

पटल पर रखे गए पत्र

एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अधीन मैं एअर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस—१५४/५५]**

संचार मंत्रालय अधिसूचना

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अधीन मैं संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८६, दिनांक १२ मार्च, १९५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१५५/५५]**

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही के विवरण का उपस्थापन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति (१९५४–५५) की कार्यवाही खण्ड ४, संख्या १ उपस्थापित करता हूं।

बांडुंग में हुए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सभा हाल ही में बांडुंग में हुए अफ्रेशियाई सम्मेलन का कुछ वत्तांत सुनने में दिलचस्पी लेगी। सार्वजनिक समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें प्रकाशित हुई हैं। ये बातें सदैव ठीक नहीं होती हैं। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी किया गया संयुक्त पत्रक जिसमें कि सम्मेलन में सर्व सम्मति से किये गये निर्णय हैं, प्रकाशित

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हो गया है। वह एक सरकारी पत्र की भांति जारी किया जा रहा है।

पिछले दिसम्बर को बोगोर में हुए बर्मा, लंका ,पाकिस्तान, इन्डोनेशिया तथा भारत के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में, पांचों प्रधान मंत्रियों के संयुक्त तत्वावधान में ऐसा सम्मेलन करने का निश्चय किया गया था। सम्मेलन के प्रमुख प्रयोजन इस प्रकार रखे गये थे।

"सद्भावना तथा सहयोग बढ़ाना;

एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं तथा उनकी विशेष दिलचस्पी की समस्याओं पर विचार करना; और

आज के संसार की पृष्ठ भूमि में एशिया व अफ्रीका की स्थिति का निरीक्षण करना तथा इस बात पर विचार करना कि विश्वशांति और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के लिये वे क्या कर सकते हैं।"

प्रधान मंत्रियों ने और भी इस बात पर सहमति प्रगट की थी कि सम्मेलन में एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों के स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रप्राय देश ही भाग ले सकेंगे। थोड़ा बहुत फेर बदल कर इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने पर, उन्होंने पच्चीस देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने का निश्चय किया। इस प्रकार उनको भी सम्मिलित कर सम्मेलन में तीस देश सम्मिलित थे। इस प्रकार ये निमंत्रण सिद्धान्त अथवा जातीयता के आधार पर नहीं बल्कि भौगोलिक आधार पर दिये गये थे। यह साधारण बात नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण बात है कि एक को छोड़ कर लगभग सभी देशों ने निमंत्रण स्वीकार किया तथा अधिकांश मामलों में प्रधान मंत्रियों तथा वैदेशिक मंत्रियों ने तथा अन्य मामलों में ज्येष्ठ राजनीतिज्ञों ने सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया।

सम्मेलन की व्यवस्था पांचों प्रवर्तक-समर्थक राष्ट्रों के एक संयुक्त सचिवालय को सौंप दी गई थी। कुछ भी हो इसकी व्यवस्था का मुख्यभार, जिसमें स्थान तथा अतिथियों की सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है, इंडोनेशियाई सरकार को वहन करना पड़ा। मुझे, इंडोनेशिया गणराज्य के प्रधान मंत्री तथा सरकार को, उनकी संतोषजनक व्यवस्था, और उनके महान श्रम के लिए, जो उन्होंने इस कार्य के लिए किया और इसकी ओर जो ध्यान दिया, हार्दिक धन्यवाद देते हुए हर्ष होता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों से सम्मेलन को सफल होने में बहुत सहायता प्राप्त हुई।

इंडोनेशिया गणराज्य के प्रसिद्ध राष्ट्रपति, डा० अहमद सुकर्ण ने १८ अप्रैल को अफ्रेशियाई सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के उद्घाटन-अभिभाषण ने उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन ही नहीं दिया बल्कि जागृत एशिया की भावनाओं की उद्घोषणा की। भारत में हम लोगों को राष्ट्रपति सुकर्ण का अभिभाषण उभय देशों के घनिष्ट सम्बन्ध तथा एशिया की स्वतंत्रता के लिये संयुक्त प्रयत्नों का स्मरण कराता है। हम उनके भाषण के अन्तिम शब्दों से जो कि उद्धरण के योग्य हैं लाभ उठा सकते हैं।

"हमें भूतकाल के सम्बन्ध में कटु नहीं होना चाहिये, बल्कि भविष्य के प्रति आंखें खुली रखनी चाहियें। हमें स्मरण रखना चाहिये कि जीवन तथा स्वतंत्रता के समान भगवान का कोई श्रेष्ठ वरदान नहीं। जब तक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के कुछ भाग परतंत्र हैं, तब तक समस्त मानवता कलंकित है। हमें स्मरण रखना चाहिए

कि मानव का महानतम उद्देश्य मानव को भय तथा दरिद्रता के बन्धन से मुक्त करना तथा शारीरिक आध्यात्मिक तथा बौद्धिक बन्धनों से, जिन्होंने कि बहुत समय से मानवता के एक बड़े भाग की प्रगति को अवरुद्ध कर रखा है, से छुटकारा दिलाना है।

भाइयो और बहिनो, हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें एशिया तथा अफ्रीका देशवासियों को एक होना चाहिये ।"

पूर्ण अधिवेशन में, विभिन्न प्रतिनिधियों ने जो भाषण दिये, उनसे प्रचलित दृष्टकोण तथा विभिन्नतायें प्रगट हुई तथा इस प्रकार सम्मेलन का सामान्य प्रयोजन एवं कठिन कार्य दोनों प्रगट हुए। अन्तिम अधिवेशन को छोड़ कर सम्मेलन का सारा काम समितियों तथा बन्द अधिवेशनों में हुआ, क्योंकि इससे सम्मेलन का प्रयोजन शीघ्र हल होने तथा उनकी शीघ्रता से प्राप्ति करने की गुंजायश थी।

यह बोगोर के ही निर्णयों का एक भाग था कि सम्मेलन को अपना कार्यक्रम स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए। प्रवर्तकों द्वारा अपने दायित्व से बचने के लिये नहीं किन्तु सम्मेलन को अपने कार्यों एवं प्रक्रिया सम्बन्धी, पूर्ण अधिकार देने के लिये, जान बूझ कर ऐसा किया गया था।

अतएव, सम्मेलन ने, बोगोर में प्रस्तुत किये गये मुख्य प्रयोजन के अनुसार कार्यसूची का निर्णय किया। सम्मेलन ने यह भी निर्णय किया कि अन्तिम निर्णयों से उनके मतों की पुष्टि होनी चाहिये।

आर्थिक तथा सामाजिक बातें पृथक् समितियों को सौंपी गई। अन्त में उनके प्रतिवेदनों को सम्मेलन की समिति ने स्वीकार कर लिया। इसी समिति ने कार्यसूची के अवशेष भागों को, जिसमें राजनैतिक बात भी सम्मिलित थी, ले लिया। सभा को, अन्तिम पत्रक से, जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है, इन समितियों की प्रक्रिया तथा सिफारिशों का पता लगेगा। उनकी मुख्य रूपरेखा पर ध्यान देना संगत होगा। इन सिफारिशों ने बुद्धिमानी से ही, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये अतिरिक्त प्रणाली की स्थापना से बचने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत यह कुछ अंशों में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली; तथा कुछ सीमा तक व्यक्तिगत सरकारों के सम्पर्क तथा वार्ता से किये गये निर्णयों पर अवलम्बित रहेगी। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राष्ट्रों से व्यवहार करते समय यही मार्ग अपनाना बुद्धिमानी तथा व्यावहारिकता है। अग्रेतर इस बात पर ध्यान देना भी महत्त्वपूर्ण है कि बिना किसी अपवाद के सभी प्रतिनिधिमंडल आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के महत्त्व को मानते थे। इन निर्णयों से यह सर्वसामान्य विश्वास उठ चुका तथा यह प्रथा टूट गई कि एशिया को टैकनिकल सहायता वित्तीय अथवा सांस्कृतिक सहयोग तथा अनुभवों के आदान-प्रदान में ग़ैर-एशियाई देशों पर निर्भर रहना चाहिये। इन प्रतिवेदनों के अलावा विस्तृत सिफारिशें जो कि सम्मेलन के निर्णयों के रूप में आईं, वह एशियाई देशों के परस्पर निकट आने तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने के निश्चय को प्रगट करती हैं।

आर्थिक क्षेत्र में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया है, उनमें टैकनिकल सहायता, आर्थिक सहायता के लिये एक विशेष संयुक्त राष्ट्रीय निधि की स्थापना, भागीदार देशों द्वारा सम्पर्क पदाधिकारियों की नियुक्ति, द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा खाद्यपदार्थों के व्यापार एवं मूल्यों का स्थायीकरण, कच्ची सामग्री को तैयार करने में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वृद्धि, नौवहन तथा परिवहन समस्याओं का अध्ययन, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक बैंकों तथा बीमा कम्पनियों की स्थापना, शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणु शक्ति का विकास और पारस्परिक हित के मामलों पर जानकारी तथा विचारों का आदान-प्रदान शामिल है।

सम्मेलन ने यह मानते हुए कि राष्ट्रों के बीच सौहार्द की वृद्धि के लिये सांस्कृतिक सहयोग का विकास सब से शक्तिशाली साधन है, इस क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापक विषयों का समावेश किया। एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को आबद्ध करने वाले सम्बन्ध विदेशी विजयों तथा राज्य प्रसार के कारण टूट गये हैं। नव एशिया प्राचीन सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने तथा नये तथा अच्छे प्रकार के सम्बन्धों को निर्मित करने की चेष्टा करेगा यद्यपि एशियाई पुनर्जागरण का प्रतिनिधियों की विचारधारा में उपयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है, फिर भी यह आवश्यक है कि सहनशीलता एवं विश्वबंधुत्व की प्राचीन परम्परा के अनुसार उन्होंने यह अभिलिखित किया, कि सम्मेलन इस बात पर विश्वास करता है कि एशियाई तथा अफ्रीकी सांस्कृतिक सहयोग विश्व सहयोग के व्यापक क्षेत्र में विकसित होना चाहिये।

व्यावहारिक कार्यवाही के रूप में सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में विभिन्न देशों का यही प्रयत्न होगा कि वे एक दूसरे देश का ज्ञान प्राप्त करें, परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान व जानकारी का आदान-प्रदान करें। द्विपक्षीय व्यवस्था करने से, प्रत्येक देश के यथेष्ट कार्य करने से सर्वोत्तम परिणाम निकलेंगे।

सारे सम्मेलन की समिति का कार्य प्रधानतः मानव अधिकार तथा आत्म-निश्चय पराधीन राष्ट्रों की समस्याएं और विश्व शांति तथा सहयोग की वृद्धि—के शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया। प्रत्येक शीर्षक के अधीन कई विशिष्ट समस्यायें थीं। मानव अधिकार तथा आत्म-निश्चय के अन्तर्गत, विशिष्ट समस्यायें जैसे जातीय विभेद तथा पृथक्करण पर विचार किया गया। दक्षिणी अफ्रीका संघ, तथा उस देश में भारतीय व पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों की स्थिति, फिलस्तीन की समस्या पर विश्व शांति, मानव अधिकार तथा शरणार्थियों की दशा की दृष्टि से विचार बातों को विशेष महत्व दिया गया।

पराधीन राष्ट्रों की समस्या अथवा उपनिवेशवाद एक ऐसा विषय था जिसमें प्रतिनिधि राष्ट्र एक साथ सहमत भी थे तथा असहमत भी। उपनिवेशवाद के प्रचलित अर्थ में, अर्थात् एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर शासन तथा परिणामस्वरूप होने वाली खराबियों का सम्मेलन ने एक मत से बहिष्कार किया। उन्होंने स्वाधीनता के लिये संग्राम करने वाले राष्ट्रों के लिये अपनी सहायता का आश्वासन दिया तथा सम्बन्धित शक्तियों से, उन्हें स्वतंत्रता देने के लिये निवेदन किया। मोरक्को, ट्यूनशिया, अल्जीरिया तथा पश्चिमी ईरान की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अदन, जो कि अंग्रेजी संरक्षण में है तथा एक पृथक् वर्ग में है, समस्या पर भी विचार किया गया है।

सम्मेलन का एक मत और था जिसका उद्देश्य उपनिवेशवाद को समाप्त करना और इन उपरोक्त घोषणाओं में कुछ सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न देशों की कथित परिस्थितियों को सम्मिलित करना था—इनमें कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और वे सब ही अन्तराष्ट्रीय विधि और प्रथा की दृष्टि से स्वतन्त्र हैं। उनके हम से और संसार के अन्य देशों से

जिनमें बड़े राष्ट्र भी सम्मिलित हैं, कूटनीतिक, सम्बन्ध हैं। हमें यह प्रतीत होता है कि चाहे इन देशों में विद्यमान परिस्थितियों के या रूस व उनके बीच सम्बन्ध के बारे में कोई भी मत हो, परन्तु उन्हें उपनिवेश किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता और न ही उनकी कथित परिस्थितियों को उपनिवेशवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। सम्मेलन की ओर से किसी भी साधारण वक्तव्य में इस प्रकार सम्मिलित करना इसी स्थिति में सम्भव हो सकता है कि सम्मेलन में अधिकतर भाग लेने वाले, हमें भी मिला कर, उन विचारों और प्रवृत्तियों को स्वीकार करें जो उनकी नहीं हैं। यह कहना किसी के प्रति अन्याय नहीं है कि इस विवाद या मतभेद से एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के क्षेत्र में शीत युद्ध का प्रतिबिम्ब पड़ता है। जबकि इन सम्बद्ध देशों को अन्य मामलों की भांति इस मामले पर अपनी विचारधारा बनाये रखने का अधिकार था, ऐसे मत सम्मेलन की ओर से किसी भी सूत्रबंधन का भाग नहीं बन सके। यह अच्छा ही हुआ कि इन विरोधात्मक विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया और सम्मेलन के लिये यह और भी अधिक श्रेय की बात है कि शान्तिपूर्ण तथा निरन्तर प्रयत्न के पश्चात् एक सूत्रबन्धन, जो समस्त सम्बद्ध राष्ट्रों के दृढ़ विचारों के विरुद्ध न था, प्रस्तुत हुआ। यह उन मामलों में से एक है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि सम्मेलन का एक उद्देश्य, अर्थात् वैषम्य को स्वीकार करना परन्तु एकता खोजना, प्रतिपालित रहता है।

एशिया और अफ्रीका ने बहु-विनाश के अस्त्रों के उत्पादन तथा प्रयोग का एक आवाज से विरोध किया। सम्मेलन ने उनके पूर्ण निषेध और ऐसे निषेध को लागू करने तथा उसे बनाये रखने के लिये कुशल अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की मांग की। इसने ऐसे अस्त्रों के प्रयोगों को बन्द करने की भी मांग की। अस्त्रीकरण की होड़ के बारे में एशिया व अफ्रीका की चिन्ता और निःशस्त्रीकरण की अनिवार्य आवश्यकता की भी अभिव्यक्ति की गई।

सम्मेलन का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण निश्चय "विश्व शान्ति तथा सहकारिता की घोषणा" है। एकत्र राष्ट्रों ने ऐसे सिद्धान्त बनाये जो उनके पारस्परिक तथा संसार के साथ सम्बन्धों पर लागू हों। ये विश्व में लागू हो सकते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्त्व है। भारत में हम ने पिछले मासों में अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्ध नियमित करने की दृष्टि से सिद्धान्त बनाये थे तथा उन्हें प्रायः पांच सिद्धान्तों के नाम से पुकारा है। बांडुंग की घोषणा में इन पांचों सिद्धान्तों और उनमें कुछ और बातों को, जो इन सिद्धान्तों को दृढ़ बनाती हैं, जोड़ा गया है। हमें इस बात पर सकारण प्रसन्न होना चाहिये कि इस सम्मेलन ने, जिसमें संसार की आधी से अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधि थे, उन सिद्धान्तों के पालन की घोषणा की है जो, यदि विश्व-शान्ति तथा सहकारिता प्राप्त करनी है तो, उनके व्यवहार का पथप्रदर्शन करें और संसार के राष्ट्रों के सम्बन्धों को नियमित करें।

सभा को स्मरण होगा कि जब पांच सिद्धान्त, या हमारे कथनानुसार पंचशील प्रकाश में आये, तब संसार के विभिन्न भागों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और कुछ उनका विरोध भी हुआ। हमारा यह मत है कि उनमें उस सम्बन्ध के सिद्धान्तों का तत्त्व है जिससे विश्व शान्ति तथा सहकारिता का उदय होगा। हमने उन्हें दैवी आदेश नहीं बताया है या उनकी संख्या या सूत्रबन्धन के बारे में कोई विशष पवित्रता का घोषणा नहीं की है। उनका सारांश ठोस है, और यह बांडुंग घोषणा में सम्मिलित भी है। कुछ विकल्पों का प्रस्ताव किया गया था और इन में से कुछ ने विरोधात्मक परिस्थिति भी उत्पन्न की। अन्तिम घोषणा में कोई विरोध नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत सरकार बांडुंग घोषणा में सम्मिलित सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत है और उनका पालन करेगी। उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे देश के हित या हमारी निश्चित विदेश नीति के विरुद्ध हो।

घोषणा के एक खंड में सामूहिक रक्षा का उल्लेख है। सभा को विदित है कि हम सैन्य समझौते के विरुद्ध हैं और मैं ने बार बार यह कहा है कि ये समझौते, जिन का आधार शक्ति का अन्तर और "बल से वार्ता" तथा राष्ट्रों को द्वन्द्वात्मक पक्षों में मिलाने का विचार है, हमारे विचारानुसार शान्ति में सहायक नहीं है। हमारा यही विचार है। फिर भी, बांडुंग घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की दृष्टि से आत्म-रक्षण का उल्लेख करती है। चार्टर (अनुच्छेद ५१) के उपबन्धों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, "यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य देश पर सशस्त्र आक्रमण होता है, तो सुरक्षा परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनायें रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने तक" व्यक्तिगत या सामूहिक आत्म रक्षण का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका उल्लेख चार्टर से किया गया है। मैं चार्टर के अध्याय ८ की ओर भी ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसमें प्रादेशिक प्रबन्धों के बारे में परिस्थितियों का सविस्तार वर्णन है। बांडुंग घोषणा में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सामूहिक रक्षा के ये अधिकार चार्टर के अनुकूल होने चाहियें। हम केवल इस सिद्धान्त से सहमत ही नहीं हैं, अपितु इसका स्वागत करते हैं। चार्टर में कथित उद्देश्यों के लिए हम ने सामूहिक रक्षा से सहमति प्रकट की है। यह भी देखा जायेगा कि बांडुंग घोषणा में इस मामले के सम्बन्ध में जो विशेष संरक्षण सम्मिलित हैं, अर्थात् राष्ट्रों पर कोई बाह्य दबाव न हो और बड़े राष्ट्रों के विशेष लाभ के लिये सामूहिक रक्षा प्रबन्धों का प्रयोग न किया जाये। हम इस बात से भी प्रसन्न हैं कि घोषणा में आरम्भ में मानव अधिकारों के और इसलिए सभ्यता के मूल महत्वों के पालन का वर्णन है। यदि सम्मेलन ने बांडुंग घोषणा के सिद्धान्तों के अतिरिक्त और निश्चय न किये होते, तो यह एक स्मरणीय सफलता होती।

वास्तविक कार्य और स्वयं सम्मेलन में सफलता के बारे में इतना ही कहा है, परन्तु बांडुंग में इस ऐतिहासिक सप्ताह का कोई अनुमान, यदि हम अनेकों स्थापित सम्बन्धों, उत्पन्न हुए सम्बन्धों, दूर हुए पक्षपातों और स्थापित हुई मित्रताओं का ध्यान नहीं रखते तो, अपूर्ण और अपर्याप्त होगा। विशेषकर, बातचीत का और निजी बातचीत से प्राप्त कुछ रचनात्मक परिणामों का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे परिणाम कुछ एक उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं जो हिन्द-चीन में जैनेवा निश्चयों की कार्यान्विति से उत्पन्न हुई थीं। सम्बद्ध पक्षों की प्रत्यक्ष बैठकों और दूसरे लोगों, जिनमें हम भी सम्मिलित हैं, के प्रयत्नों से इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिली है और अधिक मित्रता हो गई है।

कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की यह स्थिति है। हमें खेद है कि हम दक्षिणी वियतनाम के सम्बन्ध में इस मामले में आगे न बढ़ सके। इसके लिये समय और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है।

सभा को विदित है कि जब चीन के प्रधान मंत्री बांडुंग में थे, उन्होंने सुदूरपूर्व में और विशेषकर फारमोसा क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिये अमरीका से प्रत्यक्ष वार्ता करने की अपनी तत्परता की एक जन समूह में घोषणा की थी। कुछ समय से हमें यह पता था कि चीन प्रत्यक्ष वार्ता का इच्छुक है और

अन्य सम्बद्ध पक्ष भी इस बात से अपरिचित नहीं रहे हैं। अतः स्वयं घोषणा चीन के नवीन व्यवहार का प्रतिपादन नहीं करती अपितु यह बात कि यह एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के सम्मेलन में खुल्लम खुल्ला कहा गया है, अपेक्षतया अधिक और महत्वपूर्ण प्रगति का द्योतक है। यदि समस्त सम्बद्ध देश इस अवसर का प्रयोग करते हैं, तो इस से शांतिपूर्ण हल का उपाय निकल सकता है।

प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई से कई बार मेरी बातचीत हुई। उनमें कुछ फारमोसा के बारे में थीं। मेरे निवेदन पर श्री कृष्ण मेनन ने भी चीन के प्रधान मंत्री से इस प्रश्न के अंगों पर बात की। विगत कुछ मासों में हमें फारमोसा प्रश्न पर वाशिंगटन, लन्दन और ओटावा की प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों के बारे में भी कुछ ज्ञात हुआ है। हम अन्य सरकारों के लिये कुछ नहीं कह सकते, केवल अपने विचार बता सकते हैं तथा उन पर अपने निर्णय के अनुसार कार्य कर सकते हैं। हमारी इस अनुभूति में वृद्धि हुई है कि यदि कोई वार्ता न हो तो संकट की गम्भीरता और हमारे समक्ष प्रस्तुत भयंकर विकल्प की दृष्टि से खाई को पाटन के प्रयत्न अनिवार्य हैं। हम महसूस और आशा करते हैं कि सन्तोषपूर्ण और निरन्तर प्रत्यनों का कुछ परिणाम हो या उनके और संकेत मिलें। इस झगड़े में हमें यह विशेषाधिकार और लाभ है कि हमारी दोनों पक्षों से मित्रता है। हम कोइ पक्षपात स्वीकार नहीं करते और शान्ति उत्पन्न करने वाले किसी भा प्रयत्न के सम्बन्ध में हम अपने को वर्जित अनुभव नहीं करते। अतः हम इस महान संकट के दूर करने में, इन प्राप्त अवसरों से लाभ उठाना चाहते हैं। बांडुंग वार्ता को चालू रखने के लिये, प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने श्री वी० के० कृष्ण मेनन को पीकिंग आने के लिये आमंत्रित किया है। मैं ने यह प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है।

बांडुंग सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है। यदि केवल यह हुई ही होती, तो स्वयं बैठक ही एक महान सफलता होती, क्योंकि इससे नये एशिया और अफ्रीका की उत्पत्ति का, उन नये राष्ट्रों का जो अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और संसार में उनके कर्तव्य सम्बन्धी उनके विचारों का पता चलता। बांडुंग ने संसार की आधी से अधिक जनसंख्या के विश्व-मामलों में राजनीतिक आपत्ति की अधिघोषणा की है। इसने किसी के भी प्रति अमित्रतापूर्ण चुनौती या शत्रुता की अभिव्यक्ति नहीं की, बल्कि नये और महत्वपूर्ण सहयोग की अधिघोषणा की है। प्रसन्नता की बात है कि वह सहयोग, धमकी या बल या नये शक्तिगुटों के रूप में नहीं है। बांडुंग ने क्रियात्मक आदर्शवाद के लिये एशिया और अफ्रीका के नये राष्ट्रों की क्षमता का संसार में अधिघोषणा की है, क्योंकि हम ने अपना कार्य थोड़े समय में किया और व्यावहारिक महत्व के निश्चय किये, जो प्राय: अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नहीं होते हैं। हम अपनी एकता की धारणा या अपनी सफलता से पृथकत्व तथा अपनत्व की ओर नहीं बढ़े हैं। सम्मेलन का प्रत्येक महान निश्चय प्रसन्नतापूर्वक संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व समस्याओं तथा आदेशों का उल्लेख करता है। हमारा विश्वास है कि हमारे महान संघ-संयुक्त राष्ट संघ—ने बांडुंग से शक्ति प्राप्त की है। इसका अर्थ है कि विश्व संघ के काय और लक्ष्य प्राप्ति में एशिया और अफ्रीका को अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये।

बांडुंग सम्मेलन ने संसार का ध्यान आकर्षित किया। आरम्भ में इस से घृणा और शत्रुता हुई। यह आकांक्षा और आशा में परिणत हुई और मुझ यह कहन में प्रसन्नता होती है कि यह बाद में सद्भावना और मित्रता में बदल गई। सम्मेलन की प्रारम्भिक अन्तिम बैठक में मैंने जो मत प्रकट किये, उनमें म ने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्मेलन से हमारे पड़ोसी आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को सद्भावनायें भेजने को कहा था, जिनके प्रति, जैसे कि बाकी संसार के प्रति, हमारे हृदयों में अत्यधिक भ्रातृत्व की भावनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं महसूस करता हूं कि एशियाई और अफ्रीकी सम्मेलन का संदेश यही है और हमारे नवजात स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों की पुराने और भलीभांति व्यवस्थित देशों तथा वहां के लोगों के प्रति वास्तविक यही भावना है। बांडुंग ने उन राष्ट्रों को, जो अभी पराधीन हैं परन्तु स्वतन्त्रता के लिये प्रत्यनशील हैं, उनके साहसपूर्ण संग्राम में और स्वतन्त्रता तथा न्याय के लिय उनके प्रयत्नों में डटे रहने के लिये आशा प्रस्तुत की है।

बांडुंग में हुए सम्मेलन की बैठकों से जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह महत्वपूर्ण और युग-प्रवर्तक है, तथापि बांडुंग सम्मेलन को मानव इतिहास के महान आन्दोलन का भाग न मान कर पृथक् घटना मानना इतिहास का भ्रमात्मक अध्ययन होगा। यह बाद की बात है जो अधिक ठीक है और जिसका ऐतिहासिक महत्व है।

अन्त में, मैं इस सभा से निवेदन करता हूं कि वह सम्मेलन की केवल सफलता और प्राप्तियों पर ही विचार न करे, अपितु उस महान कार्य और दायित्वों पर विचार करे जो इस सम्मेलन में हमारे भाग लेने के फलस्वरूप हमारे ऊपर आ जाते हैं। भारत सरकार को विश्वास है कि इन दायित्वों को निभाने में हमारा देश और हमारे लोग पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार हम अपने ऐतिहासिक लक्ष्य की प्राप्ति में एक पग और आगे बढ़ेंगे।

भारत का राज्य बैंक विधेयक--**समाप्त**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भारत का राज्य बैंक गठित करने वाले विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी। म माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने उन संशोधनों की खण्डानुसार संख्या दे दें जिनको वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

खण्ड २--(परिभाषायें)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(राज्य बैंक की स्थापना)

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फरुखाबाद--उत्तर) : भारत के राज्य बैंक के सम्बन्ध में मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि राज्य बैंक एक निर्गमित निकाय होगा और भारत का राज्य बैंक के नाम से कार्य करेगा।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : इसका प्रारूप सही है क्योंकि इसे हमने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया अधिनियम से लिया है अतः हम आप का संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

श्री मूलचन्द दुबे : तब तो मैं इसे वापिस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष नहीं रख रहा, अतः इसके वापिस लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(प्राधिकृत पूंजी)

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) मैं पृष्ठ २ पर पंक्ति २६ तथा २७ में "बीस करोड़" के स्थान पर "पचास करोड़" रखने के लिये अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। ग्रामीण उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अंशों का वितरण कैसे किया जाये और प्राधिकृत अंश पूंजी में पर्याप्त वृद्धि किस